फर्द अहकाम

मीरादेवी वगै० बनाम रामजीलाल वगै०

नाम न्यायालय

केस संख्या 35/25 टबा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	31/10/25	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उप०। अप्रार्थी ने जवाब प्रा० पत्र 07 R 11 CPC पेश किया। वकील प्रार्थी की [illegible] गई। पत्रावली में बहस प्रा० पत्र 07 R 11 CPC सुनी गई। पत्रावली आदेश दिनांक 13/11/25 को पेश हो। सहायक कलेक्टर फागी, जयपुर	
	13/11/25	पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान उप०। आदेश सुनाया गया। प्रा० पत्र 07 R 11 CPC स्वीकार किया जाता है [illegible] निर्णय पृथक से लिखा जाकर है। विस्तृत निर्णय पृथक से [illegible] शामिल मिसल किया गया। पत्रावली [illegible] से [illegible] दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलेक्टर फागी, जयपुर	

न्यायालय सहायक कलक्टर फागी जिला जयपुर

बइजलास :- जमना कुमार (आर.ए.एस.)
मु0नं0:- 35/2025
निर्णय दिनांक:- 13.11.2025

मीरा देवी वगैरह बनाम रामजीलाल वगैरह

उपस्थित अधिवक्ता:- श्री बुद्धिप्रकाश शर्मा वकील प्रार्थी/प्रतिवादी
श्री भवानी शंकर शर्मा वकील अप्रार्थी/वादीगण

दावा घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना आदेश 07 नियम 11(घ) व धारा 151 जा0दी0

निर्णय दिनांक:- 13.11.2025

प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि वादीगण को आराजी ख0न0 869 रकबा 2.9745 है0 ग्राम मण्डोर तहसील फागी जिला जयपुर के हिस्सा 1/4 का रिकोर्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार घोषित किया जावे। वर्तमान जमाबन्दी मे से प्रतिवादी सं0 1 का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर वादीगण का नाम जमाबन्दी मे दर्ज करवाया जावे। वादीगण द्वारा वास्तविकता व सत्यता को छिपाते हुये निराधार तथ्यों पर बिना किसी क्षैत्राधिकार के उक्त वाद श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जो प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य हैं वाद मे विवादग्रस्त आराजी ख.0न0 869 रकबा 2.7945 है0 वाके ग्राम मण्डोर तहसील फागी सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादी सं0 2 की मौजूदगी मे दिनांक 14.03.2022 को प्रतिवादी सं0 2 की माता भूरी देवी द्वारा इकरारनामा प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष मे किया गया था। जिसे भूरी देवी द्वारा जरिये विकय पत्र सुज्या पुत्र झुथा जाति बलाई से कय किया गया। कय करने के पश्चात नामान्तकरण सं0 475 दिनांक 05.04.2006 को प्रतिवादी सं0 2 की माता भूरी देवी के नाम उक्त सम्पूर्ण भूमि राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हुई। इसप्रकार उक्त आराजी प्रतिवादी सं0 2 की माता भूरी देवी की स्वअर्जित सम्पति है। दिनांक 14.03.2022 को इकरारनामा सम्पूर्ण भूमि का करने का अधिकार प्राप्त था। भूरी देवी की मृत्यु उपरान्त उक्त आराजी नामान्तकरण सं0 1280 दिनांक 05.12.2022 को विरासत नामान्तकरण सं0 1/4 – 1/4 चारों वारिसों के नाम नामान्तकरण स्वीकृत हुआ। वारिसान द्वारा भी दिनांक 14.03.2022 इकरारनामा की पालना में प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष मे शेष राशि प्राप्त कर विकय पत्र करवाया जाना स्वीकार किया गया था। प्रतिवादी सं0 2 द्वारा इकरारनामा पालना में भुरी देवी मृत्यु उपरान्त भी प्रतिवादी सं0 1 से राशि प्राप्त करता रहा तथा इकरारनामा के मुताबिक ही चैक राशि 2,50,000/रू चैक नं0 563049 एस0बी0आई0 शाखा प्रतापनगर जयपुर से दी गई थी शेष राशि को समयोजित कर 24.07.2023 को पंजीयन कार्यालय फागी में

न्यायालय सहायक कलक्टर फागी जिला जयपुर (राज.)

सहायक कलक्टर
फागी, जयपुर

विकय पत्र प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष मे पंजीबद्ध इकरारनामा दिनांक 14.03.2022 की पालना में करवाया गया था। जिसके मुताबिक नामान्तकरण सं0 1319 दिनांक 12.12.2023 को प्रतिवादी सं0 1 के नाम नामान्तकरण स्वीकृत हुआ है। इसलिये उक्त विकय पत्र 24.07.2023 इकरारनामा दिनांक 14.03.2022 की पालना में होने से पश्चातवर्ती विकय पत्र नही है। उक्त विकय पत्र कानूनी होने से उक्त बिन्दु का निर्णय करने का क्षैत्राधिकार मान्य न्यायालय को ना होकर सिविल न्यायालय को होने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विकय पत्र दिनांक 08.04.2023 के आधार पर प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। दिनांक 24.07.2023 का विकय पत्र जो प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष मे इकरारनामा दिनांक 14.03.2022 की पालना में होने से वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष (क)(ख) श्रीमान क्षैत्राधिकार मे नही होने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किये जाने योग्य है। दिनांक 24.07.2023 का विकय पत्र को वादीगण द्वारा सिविल न्यायालय द्वारा अवैध शुन्य व विधि विरूद्व होना तय नही करवाया जाता है तब तक अनुतोष (क)(ख) श्रीमान न्यायालय के क्षैत्राधिकार के अन्तर्गत ना होने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद श्रीमान के न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नही होने से क्षैत्राधिकार के अभाव मे प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी/वादीगण की और से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 का जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने जबाब के तथ्यो मे बताया की अप्रार्थीगण / वादीगण द्वारा वाद घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई

निषेधाज्ञा का मान्य न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा आराजी खसरा नम्बर 869 रकबा 2.7945 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम मण्डोर में अपने 1/4 हिस्से का दिनांक 05/04/2023 को वादीगण के पक्ष में विक्रय पत्र पूर्ण प्रतिफल राशि लेकर गवाहों के समक्ष पंजीयन करवाया गया हैं एवं खातेदारी का कब्जा काश्त वादीगण को सम्भलाया गया हैं उसके बाद प्रतिवादी संख्या 02 का उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं रहा हैं इसके बाद प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 से मिलीभगत करके उक्त भूमि का विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में निष्पादित करवा दिया जो एक शून्य एवं पश्चातवर्ती दस्तावेज हैं। जिसकी कोई वैधिक मान्यता नहीं हैं उक्त पश्चातवर्ती विक्रय पत्र दिनांक 24/07/2023 के आधार पर दिनांक 12/12/2023 नामान्तकरण संख्या 1319 एक शून्य दस्तावेज के आधार पर पश्चातवर्ती कार्यवाही हैं जो शुरू से ही अकृत व शून्य हैं जिससे प्रतिवादी संख्या 01 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। वादीगण ने अपना वाद खातेदारी घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया हैं जिसमें शून्य दस्तावेज के आधार पर जो

न्यायालय ... जयपुर (राज.)

सहायक कलक्टर
फागी, जयपुर

जमाबन्दी में गलत अंकन हुआ हैं उसको दुरूस्त करवाने के लिए मान्य न्यायालय में वाद पेश किया हैं। प्रार्थी द्वारा सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार होने का कथन करना गलत हैं क्योंकि प्रार्थी द्वारा जो विक्रय पत्र दिनांक 24/07/2023 को करवाया गया हैं वह एक शून्य दस्तावेज हैं जिसका कानूनी आधार नहीं हैं सिविल कोर्ट को शुरू से ही शून्य दस्तावेज को शून्य करने का अधिकार न होकर शून्यकरणीय दस्तावेज को शून्य करने का अधिकार क्षेत्र हैं। इसलिए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को सुनने का श्रवणाधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त हैं। प्रार्थी द्वारा अपने अपने प्रार्थना पत्र में कहीं भी यह दर्शित नहीं किया गया कि उक्त वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 के कोनसे क्लोज ए.बी.सी.डी. में से बार्ड बाई लॉ हैं प्रार्थी ने वाद पत्र का जवाब नहीं देकर कार्यवाही को दैरिना करने के उदेश्य से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया हैं उक्त प्रकरण में तनकीयात कायम होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य होने के उपरान्त गुणाअवगुण पर उक्त प्रकरण का निर्णय होना हैं जो प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य हैं। मान्य सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15/10/2025 करम सिंह बनाम अमरजीत सिंह में वर्णित किया गया है जो की सिविल अपील एस.एल.पी संख्या 3560 — 3561/2023 पृष्ठ 9/16 में कहा गया हैं प्रतिवादी नियम 11 के खंड (घ) अर्थात कानून द्वारा वर्जित वाद के अन्तर्गत वाद पत्र को अस्वीकार करने का अनुरोध खंड (घ) स्पष्ट करता है कि इसके अन्तर्गत वाद पत्र को अस्वीकार करने पर विचार करते समय यह पता लगाने के लिए कि क्या वाद कानून द्वारा वर्जित हैं केवल वाद पत्र में दिये गये कथनों पर ही विचार किया जाना हैं अन्य किसी बात पर नहीं इस स्तर पर बचाव पक्ष पर विचार नहीं किया जाना हैं इस प्रकार बाद किसी कानून द्वारा वर्जित हैं या नहीं इसका निर्धारण वाद पत्र दिये गये कथनों के आधार पर किया जाना है एवं वादीगण ने पश्चातवर्ती दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 24.07.2023 को लेकर जेरकार कार्यवाही कर रखी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 एवं धारा 151 जा0दी0 मय हर्जा — खर्चा खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी/प्रतिवादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये वादी का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी/वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपने जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन

न्यायालय सहायक कलक्टर फागी जिला जयपुर (राज.)

सहायक कलक्टर
फागी, जयपुर

किया। अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगण/प्रतियादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में मुख्य आधार यह लिया है वादीया का वाद क्षैत्राधिकार नही होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य है।

सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 एवं माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा **Smt.V.Bragan Nayagi vs R.R.Jeyaprakasam** प्रकरण में दिनांक 01.04.2015 को दिये गये निर्णय में बताये गये 06 आधारों के उक्त साधारण पठन से शिवरंजनी बनाम दलीपसिंह 2023/370 निर्णय दिनांक–09.09.2024 से ज्ञात होता है कि किसी वाद पत्र को निम्न 06 आधारों पर खारीज किये जाने के प्रावधान बनाये गये हैं:–

1. वाद पत्र द्वारा वाद हेतुक का प्रकटीकरण नहीं किया जाना।
2. .वाद पत्र में अनुतोष के मूल्य की वास्तविक्ता से कम गणना करना तथा निर्धारित समय के अवसर के तहत उक्त त्रुटिपूर्ण गणना को दुरूस्त नही करना।
3. वाद पत्र में अनुतोष के मूल्य की सटीक गणना करना परन्तु उसी अनुरूप उचित स्टाम्प वाद पत्र पर नही लगाना तथा निर्धारित समय के अवसर के तहत उक्त त्रुटिपूर्ण स्टाम्प की कमी को दुरूस्त नही करना।
4. वाद पत्र के अभिकथनों के आधार पर वाद–पत्र का विधि द्वारा वर्जित पाया जाना।
5. वाद पत्र का वहु प्रतिलिपियों में प्रस्तुत नही किया जाना।
6. वादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–9 के प्रावधानों की अनुपालना करने मे विफल होना।

उपरोक्त विन्दूओं के आलोक में वादपत्र का परीक्षण करने पर वादपत्र में वर्णित विवादग्रस्त आराजी के खसरा नम्वर 869 भूमि वाके ग्राम मण्डोर तहसील फागी के सम्वन्ध मे पेश किया है। वादी द्वारा वाद घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है। अप्रार्थी/वादी ने अपने वाद पत्र के मद नं0 4 मे यह अंकन किया है कि प्रतिवादी सं0 2 ने जमाबन्दी में उसके नाम नुमाईशी खातेदारी का अंकन रहने से उसने विना किसी विधिक अधिकार बिना खातेदारी, बिना कब्जे के उसकी नियत खराव होने के कारण जिस भूमि का वह रजि0 बैचान नामें से भूमि एक वार वादीगण के हक मे अन्तरण कर चुका था, उसने उसी भूमि का दिनांक 24.07.2023 को पुनः विकय पत्र प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष मे कर दिया जो तहत कानूनन एक पश्चातवर्ती विकय पत्र है। उसकी विधिक मान्यता नही है। प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष मे पश्चातवर्ती विकय पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया नामान्तकरण सं0 1319 दिनांक 12.12.2023 व उसके आधार पर दर्ज जमाबन्दी का अंकन एवं ऐसा विकय पत्र वादीगण के अधिकारों के विपरीत है। इस आशय पर न्यायालय का यह मत है कि

न्यायालय सहायक कलक्टर फागी जिला जयपुर (राज.)

सहायक कलक्टर
फागी . जयपुर

वादी द्वारा उक्त वाद में विकय पत्र दिनांक 24.07.2023 व नामान्तकरण सं0 1319 दिनांक 12.12.2023 को निरस्त करवाकर मुताबिक विकय पत्र दिनांक 06.04.2023 के अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। जबकि उक्त दोनो विकय पत्र ही रजिस्टर्ड विकय पत्र है। प्रतिवादी सं0 2 की माता भूरी देवी पत्नि रामलाल द्वारा पूर्व मे ही प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष मे दिनांक 14.03.2022 को इकरारनामा बाबत विकय कृषि भूमि कर दिया था। वर्तमान मे प्रतिवादी सं0 1 राजस्व रिकार्ड मे 1/4 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। जबकि प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र क्षैत्राधिकार नही होने से वादी का वाद खारिज किये जाने का कथंन किया है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त विकय पत्र दिनांक 14.03.2022 व विकय पत्र दिनांक 24.07.2023 रजिस्टर्ड विकय पत्र है। जिनको वादी के कथनांनुसार खारिज करने का क्षैत्राधिकार इस न्यायालय को नही होकर महज सिविल न्यायालय को प्राप्त है।

उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि उक्त विवादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध मे दो रजिस्टर्ड विकय पत्र तस्दीक किये गये है। विकय पत्र के आधार पर वादीगण ने घोषणा चाही है। लेकिन विकय पत्र दो अलग – अलग पक्षकारा के होने के कारण कौनसा विकय पत्र वैध है यह घोषित करने का क्षैत्राधिकार केवल सिविल न्यायालय को प्राप्त है। ना कि राजस्व न्यायालय को। इसलिये जो वाद वादीगण द्वारा न्यायालय मे वाद घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती का प्रस्तुत किया है। जो कि न्यायालय के क्षैत्राधिकार व वार्ड बाई लॉ है।

उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे वादीगण का वाद वार्ड बाई लॉ होने से प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद वार्ड बाई लॉ एवं क्षैत्राधिकार नही होने से खारिज किया जाता है। मुताबिक डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर फागी जिला जयपुर (राज.)

(जयन्त कुमार)
सहायक कलक्टर
फागी जिला जयपुर

मीरा देवी वगै0 बनाम रामजीलाल वगै0
मुकदमा– 35/2025
निर्णय दिनांक– 13.11.2025

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत– सहायक कलक्टर फागी(जयपुर)
बइजलास– जयन्त कुमार (आर.ए.एस.)

उनवान

श्रीमति मीरा देवी पत्नि रामकुवांर जाति बैरवा निवासी बैरवा की ढाणी ग्राम दादिया
पालडी परसा(बम्भोरिया) तहसील सांगानेर जिला जयपुर वगै0।

बनाम

रामजीलाल पुत्र मेवाराम जाति बैरवा निवासी मिश्र का बाढ श्रीराम की नागल सांगानेर जयपुर जिला जयपुर वगै0।

::–वाद घोषण, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मुकदमा नं0 –35/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 श्री बुद्धिप्रकाश शर्मा हाजिरी रूबरू वकील अप्रार्थी/वादी श्री भवानी शंकर शर्मा मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद वार्ड बाई लॉ एवं क्षैत्राधिकार नही होने से खारिज किया जाता है।

निज — मुबलिग — बाबत — खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह — फीसदी — सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक — का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.11.2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
सहायक कलक्टर
फागी, जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	Nil		स्टाम्प अर्जी दावा	Nil	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
फागी जिला जयपुर